उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017

लखनऊ, दिनांक: 15 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

रू0 5.00 लाख से अधिक की धनराशि के अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में प्रशा0विभाग द्वारा पत्रावली सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग के माध्यम से वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को सन्दर्भित की जाती है। अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में बजट की उपलब्धता, योजना की जानकारी आदि से, सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग ही भिज्ञ होता है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि रू0 5.00 लाख से अधिक की धनराशि के अग्रिम स्वीकृति के प्रस्तावों पर प्रशा0विभाग के सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग द्वारा अपने स्तर से ही सहमति प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983, संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/ 69, दिनांक 18-09-2017 (छायाप्रतियाँ संलग्न) निर्गत किये गये हैं एवं प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल के प्रस्तर-11.17 व 11.18 (छायाप्रति संलग्न) में भी अग्रिम से सम्बन्धित प्राविधान हैं। अग्रिम आहरण पर सहमति दिये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रस्तुत आलेख्य में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग द्वारा निम्न बातों का परीक्षण एवं समावेश किया जाये:-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774 /दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983, संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व प्रशा0 विभाग का होगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) प्रशा0विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत् धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त।

संख्या-17/2017/ए-1-1027(1)/दस-2017-10(55)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) वित्त विभाग के समस्त अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।
(4) समस्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या ए–1–2774/दस–15–1 (1)–69

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 1983।

विषय:—सामान की पूर्ति/मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये गैर सरकारी फर्मों को अग्रिम भुगतान।

महोदय,

वित्त (लेखा) अनुभाग–1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये अथवा सामान की पूर्ति के लिये गैर-सरकारी पार्टियों को अग्रिम भुगतान करने से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृति के लिये फाइनेन्शियल हैन्ड बुक, खंड 5, भाग–1 के पैरा 162 के अनुसार वित्त विभाग में भेजे जाते हैं। सामान्य तौर से, की गई मरम्मत अथवा पूर्ति के लिये भुगतान मरम्मत अथवा पूर्ति हो चुकने पर ही की जानी चाहिये। परन्तु यदि फर्में अग्रिम भुगतान के लिये ही जोर दें तो फर्मों की मांग पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। प्रशासनिक विभागों से आने वाले प्रस्ताव सामान्यतः निम्नलिखित किस्म के अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित होते है:—

(1) उन फर्मों द्वारा मांगे गये अग्रिम जिनसे टाइपराइटरों, टेलीफोनों, इत्यादि की मरम्मत के लिये वार्षिक इकरारनामे किये जाते हैं। प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध फर्मों द्वारा पेश की गई शर्तों में सामान्यतः अग्रिम भुगतान के लिये आग्रह रहता है।

(2) सामान की पूर्ति के लिये फर्मों तथा राज्य व्यापार निगम जैसे सरकार द्वारा संचालित संगठनों द्वारा मांगे गये अग्रिम भुगतान।

(3) अदालतों की फीस तथा मध्यस्थों (आरबिट्रेटर्स) की फीस के भुगतान।

2—राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–15–1 (1)/69–वि0वि0ले0–1, दिनांक 20 अप्रैल, 1970 पर पुनः विचार करते हुए तथा उसका आंशिक रूप से संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया है कि प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित प्रकार के अग्रिम भुगतान, निम्नलिखित शर्तें पूरी होने की हालत में कर सकते हैं:—

(1) अग्रिम भुगतान केवल उन्हीं मामलों में किये जायें जिनमें ऐसा करना सर्वथा आवश्यक समझा जाय तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक न हो।

(2) अग्रिम भुगतान, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की गई व्यय की वैध मंजूरी के आधार पर किया जाय।

(3) अग्रिम भुगतान की रकम किसी भी एक मामले में 25,000 रु0 से अधिक न हो।

(4) सामान की पूर्ति सम्बन्धी इकरारनामें के मामले में अग्रिम भुगतान की रकम रवाना किये जा चुके या तत्काल रवाना किये जा रहे सामान के मूल्य से 90 प्रतिशत तक सीमित रखी जायगी, और बाकी भुगतान सामान की अच्छाई सम्बन्धी निरीक्षण करने और उसके रवाना कर दिये जाने का प्रमाण पाने पर ही किया जायेगा। मरम्मत सम्बन्धी इकरारनामों में अग्रिम की रकम इकरारनामों के अनुसार एक वर्ष में देय रकम से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(5) फर्म सुप्रतिष्ठित हो और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हो।

(6) सरकारी हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई हो और सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी इस संबंध में पूर्णतः सन्तुष्ट हो। फर्म से इकरारनामा अवश्य लिखवा लिया जाय, जिसमें वे शर्तें निहित हों जिनके अधीन अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो। इकरारनामें में अनुलग्नक में उल्लिखित शर्त को अवश्य शामिल कर लिया जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इकरारनामें के शर्तों के बारे में सरकार के विधायिका विभाग से परामर्श कर लेना चाहिये।

(7) सामान की पूर्ति करने वालों को अग्रिम भुगतान करने के लिये जो अधिकारी धन निकालेगा वही उसके समायोजन के लिये जिम्मेदार होगा। इसके लिये वह अग्रिम धन निकालने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर ब्योरेवार बिल महालेखाकार के पास भेजेगा। यदि अग्रिम धन निकालने के एक माह के अन्दर अग्रिम का समायोजन संभव न हो तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजी जाय। परन्तु हर दशा में सभी निकाले गये अग्रिमों का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य कर लिया जाय।

(8) किसी भी फर्म/पूर्ति करने वाले को अग्रिम भुगतान करने के लिये दूसरी रकम तब तक नहीं निकाली जायेगी जब तक कि उस फर्म/पूर्ति करने वाले को, यदि पहिले कोई अग्रिम भुगतान किया गया हो, उस रकम का समायोजन नहीं हो जाता।

(9) अग्रिम आहरण के बिल पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय--

"प्रमाणित किया जाता है कि पिछले माह की पहली तारीख से पूर्व संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (Abstrct Contingent Bill) पर आहरित सभी अग्रिम धनराशियों का समायोजन कर लिया गया है और ब्योरेवार आकस्मिक व्यय बिल (Detailed Contingent Bill) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर जिनमें नियम अथवा शासनादेश में एक माह से अधिक की अवधि में अग्रिमों का समायोजन किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है महालेखाकार उत्तर प्रदेश/नियंत्रक अधिकारी को भेज दिये गये हैं"।

(10) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भके तीन माह अर्थात् अप्रैल, मई और जून में अग्रिम आहरण के बिलों पर इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय कि पिछले वर्ष में आहरित सभी अग्रिमों का समायोजन कर लिया गया है तथा ब्योरेवार आकस्मिक व्यय बिल महालेखाकार/नियंत्रक अधिकारी को भेज दिये गये हैं।

(11) यह भी ध्यान रखा जाय कि व्यय की गई कुल धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से अधिक न हो जाय।

(12) अग्रिम की रकम उस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शायी जायेगी जिसके नामें अन्ततोगत्वा उक्त पूर्ति अथवा मरम्मत आदि के काम पर किया गया व्यय डाला जायेगा।

3--इस संबंध में मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि पेट्रोल और डीजल आदि का क्रय भी सामान की आपूर्ति के अन्तर्गत आता है। अतः पेट्रोल, डीजल के नकद क्रय किये जाने हेतु भी धनराशि अग्रिम के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत आहरित की जा सकती है। तदनुसार अब शासनादेश संख्या ए-1-1550/दस-10 (27)-82, दिनांक 30-5-83 अतिक्रमित समझा जाय।

4--उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अन्तर्गत न आने वाले अग्रिम भुगतानों के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,
जी0 एस0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

संख्या ए-1-2774 (1)/दस-15-1 (1)-69, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-i, ii तथा iii, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जी0एस0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या ए-1-2774/दस-15/1(1)/69, दिनांक 25-10-83 का अनुलग्नक

"When the Contractor abandons the work/supplies before its due completion or when the contract is determined under the provisions of the contract or when under the provisions of the contract the work/supplies is/are taken out of the contractor's hands to be executed/made by the Govrnment or by other persons at the risk and expense of the contractor, then and in any such case the amount of the advance which remains unaccounted for under the provisions of the contract against the work done/supplies made shall be forthwith repaid by the contractor to the Governor together with interest thereon at twelve per cent per annum from the date of abondonment, determination or taking the work/supplies out of the contractor's hands as hereinbefore provided to the date of repayment of the full amount. The contractor further agrees that he shall, in addition, pay to the Governor all the costs, charges and expenses incurred by the Governor towards the recovery thereof".

बी0एस0यू0पी0--ए0पी0 183 सा0 वित्त--2-2-88--(3921)-1988-1,000 (प्रो0)।

संख्या : ए–1– 235 / दस–2011–15 / 1(1) / 69

प्रेषक,

डा. बी. एम. जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 10 जून, 2011

विषय : सामान की पूर्ति / मशीनों की मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए गैर सरकारी फर्मों को अग्रिम भुगतान ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–ए–1–2774 / दस–15 / 1(1) / 69 दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय विभाग / विभागाध्यक्ष को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं । इसके क्रम में शासनादेश संख्या–ए–1–1333 / दस–15 / 1(1) / 69 दिनांक 24 मई, 1985 द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड ६ भाग–1 के प्रस्तर 162 तथा प्रस्तर 249 आई में संशोधन विषयक संशोधन पर्ची संख्या–53, 54 व 55 जारी की गयी हैं ।

2– उक्त शासनादेश जारी होने के बाद के लम्बे अन्तराल में सामग्री और श्रम के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि एब्सट्रेक्ट कन्टीन्जेन्ट बिल्स (ए.सी. बिल्स) के माध्यम से आहरित की जाती है और अग्रिम धनराशि के समायोजन हेतु डिटेल्ड कन्टीन्जेन्ट बिल्स (डी.सी.बिल्स) महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाते हैं । अग्रिमों के समायोजन हेतु डी.सी.बिल्स समय से न भेजे जाने के कारण तथा अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने की विद्यमान सीमा रुपये 25,000 होने की दशा में ऐसे ए.सी.बिल्स की संख्या में वृद्धि हो रही, जिनके समायोजन के लिए डी.सी.बिल्स महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना वांछित हो ।

3– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने की सीमा को बढ़ाने तथा प्रक्रिया को सरल बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय द्वारा अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने को विद्यमान व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किये जाने के आदेश दिये गये हैं :

(1) सामान की पूर्ति / मशीनों की मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए किसी भी एक मामले में विभागाध्यक्ष द्वारा रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) से अनधिक तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा रुपये 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) से अनधिक अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

(2) पेट्रोल / डीजल के नगद क्रय हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) तक धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है । इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रुपये 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक अग्रिम आहरण की सीमा यथावत् रहेगी ।

(3) उद्योग निदेशालय / डी.जी.एस.एण्ड डी. / विभागीय दर अनुबन्ध अथवा मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत यदि अग्रिम भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो और बजट आवंटन उपलब्ध हो, तो विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आवश्यक अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

(4) मशीनों / उपकरणों / कम्प्यूटर उपकरणों आदि के वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (ए.एम.सी.) के अन्तर्गत अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक बार में छः माह की अवधि के लिए धनराशि के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है ।

(5) शासकीय निर्माण कार्यों तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन सम्बन्धी परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यदायी विभागों / संस्थाओं को धनराशि अग्रिम रूप में दिये जाने के मामले उपरोक्त से आच्छादित नहीं होंगे । इन मामलों में अग्रिम के रूप में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश सक्षम स्तर से जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेशों में ही सम्मिलित किये जायेंगे ।

(6) उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अग्रिम भुगतान की स्वीकृति के आदेशों के अन्तर्गत धनराशि के आहरण हेतु कोषागारों में प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों के शीर्ष पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा लाल स्याही से 'एब्सट्रेक्ट कन्टीन्जेन्ट बिल' लिखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा । साथ ही, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी बिल पर अंकित किया जायेगा कि इससे पूर्व आहरित ए.सी.बिल्स के समायोजन हेतु डी.सी. बिल्स निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महालेखाकार कार्यालय को भेज दिये गये हैं ।

4– इस सम्बन्ध में उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 1983, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे ।

उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत न आने वाले अग्रिम भुगतानों के सम्बन्ध में वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

(बी. एम. जोशी)
सचिव, वित्त ।

संख्या : ए–1– 235 (1)/दस–2011–15/1(1)/69, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3 प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ ।
4 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव , उत्तर प्रदेश शासन ।
5 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6 निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
7 समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(आर. के. वर्मा)
विशेष सचिव ।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 25 सा0 वित्त–20–6–2011–(457)–5,000+2 प्रतियां (क0/ऑ0)।

संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2017

विषय : सामान की पूर्ति/मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी फर्मों को अग्रिम भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15/1(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(1) में दी गयी व्यवस्था क्या सेवाओं को प्राप्त किये जाने (प्रोक्योरमेण्ट ऑफ सर्विसेज) हेतु लिये जाने वाले अग्रिम के सम्बन्ध में भी लागू है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10-6-2011 के प्रस्तर-3(1) में सामान की पूर्ति/मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु अग्रिम के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था समस्त प्रकार की सेवाओं (प्रोक्योरमेण्ट ऑफ सर्विसेज) के लिये दिये जाने वाले अग्रिम पर भी लागू होगी।

3- शासनादेश दिनांक 10-6-2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2017/ए-1-873(1)/दस-2017-15/1(1)/69, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में वर्णित प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 के सुसंगत अंश।

Advance Payment to Supplier

11.17 Ordinarily, payments for supplies made or services renderedshould be released to the supplier only after the supplies have been made or services have been rendered. However, it may become necessary to make advance payments in the following types of cases:

(1) Advance payment demanded by firms holding maintenance contracts for servicing of Air-conditioners, computers, other costly equipment, etc.

(2) Advance payment demanded by suppliers against fabrication contracts, turn-key contracts, etc.

(3) Such advance payments should not exceed the following limits:

  (a) Thirty per cent of the contract value to private firms (suppliers);

  (b) Forty per cent of the contract value to a State or Central Government agency or a Public Sector Undertaking;

  (c) In case of maintenance contract, the amount should not exceed the amount payable for 6 (six) months under the contract.

11.18 In exceptional cases, the departments may, in consultation with Finance department, relax the ceilings mentioned above. However, while making any such advance payment, adequate safeguards in the form of bank guarantee etc. should be obtained from the supplier. Further, such advance payments should be 'generally' interest bearing, suitable percentages for which are to be decided on case to case basis.